

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

दिनांक 16 मार्च, 2008 दिन रविवार को अपराह्न 12:15 बजे सेन्टर फॉर
एकेडमिक्स भवन में कार्य परिषद की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त--

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

1. प्रो. एल.सी. मिश्रा, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री कुलदीप सिंह	सदस्य
3. डा. एमओएलओ पोरवाल	सदस्य
4. डा. (श्रीमती) नीरा शर्मा	सदस्य
5. प्रो. संजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6. डा. (श्रीमती) आशा रानी राय	सदस्य
7. डा. साहव लाल शुक्ला	सदस्य
8. डा. संजय कुमार रव्वर्णकार	सदस्य
9. डा. (श्रीमती) सरोजनी पाण्डेय	सदस्य
10. श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, वित्त अधिकारी	सदस्य
11. श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित समरत सम्मानित सदस्यों का
स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

मद संख्या-1 कार्यपरिषद की सम्पन्न विगत बैठक दिनांक
30.07.2007 एवं दिनांक 11.10.2007 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार :

सदस्य प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव ने परिषद को अवगत कराया कि कार्य परिषद ने सम्पन्न विगत बैठक दिनांक 30.07.2007 के एजेन्डा विन्दु संख्या 03 पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संस्थानों में रिक्त शैक्षिक पदों (स्वाधित प्रैषित योजना) पर चयन समिति की संस्कृतियों को अनुमोदित किया था परन्तु शायेवाही में शिक्षकों के नामों के सम्मुख उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि भी अंकित नहीं रही है। इस पर कुलसचिव ने कार्यवाही टक्कित होने में कार्यालयी बूटि होने के बाबत इसे बैठक की कार्यवाही से विलोपित करने का अनुरोध किया गिरा जिसे बैठक ने सहमति व्यक्त की। इस संशोधन के साथ परिषद शी विगत बैठक का अनु

07.2007 एवं 11.10.2007 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट करने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया।

मद संख्या-2 वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.08.2007 में लिए गए निर्णयों के अनुमोदन पर विचार :-

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.08.2007 में लिए गये निर्णयों से अवगत होते हुए परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या-3 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त शैक्षिक पदों (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों) पर चयन/नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार :-

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त शैक्षिक पदों (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों) पर चयन/ नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में ३० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(8)(ए) के प्राविधानानुसार चार माह के अन्दर कार्यपरिषद द्वारा निर्णय न हिस्पेये जाने के फलस्वरूप चयन समिति की संस्तुतियों को महामहिम कुलाधिपति के निर्णयाद्य संदर्भित किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

मद संख्या-4 विश्वविद्यालय में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बैकलॉग पूरा किए जाने हेतु कुलपति जी द्वारा अनुमोदित चयन समिति के गठन की कार्यतार स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार :-

परिषद ने विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बैकलॉग पूरा किए जाने हेतु कुलपति जी द्वारा अनुमोदित निम्नांकित चयन समिति के गठन की कार्यतार स्वीकृति प्रदान की :-

(I)	डा० सं०प००सिंह, निदेशक, सा.डा.सा,	अध्यक्ष
(II)	श्री एस.एस.वर्मा, वित्त अधिकारी,	सदस्य
(III)	प्र०. आर.सी.कटियार, निदेशक, आई.बी.एम.,	सदस्य
(IV)	श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव,	सदस्य
(V)	कुलपति द्वारा नामित विषय/पद सम्बंधी विषेशज्ञ	सदस्य
(VI)	श्री संजय कुमार, उपकुलसचिव (प्रशासा).	सदस्य

मद संख्या-5 वैकलाग विज्ञापन सं0- सा.एस.जे.एस.दि.आर.
केन्द्र/5262/2007 दिनांक 31.10.2007 में समूह (ग) के आरक्षित पर्याय संस्कृति
पूरा किए जाने हेतु विज्ञापित पदों पर चयन समिति द्वारा संस्कृत अभ्यर्थियों के
चयन/नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार :-

प्रनिधन ने वैकलाग विज्ञापन सं0-सा.एस.जे.एस.दि.आर.
केन्द्र/5262/2007 दिनांक 31.10.2007 विज्ञापित समूह (ग) के आरक्षित वर्गों का
विज्ञापन पूरा किए जाने हेतु पदों पर चयन समिति द्वारा संस्कृत अभ्यर्थियों के
चयन/नियुक्ति पर निम्नानुसार निर्णय लिया ।

(I) परिषद ने कम्ब्यूटर आपरेटर (वेतनमान रु0 5000-8000) के
अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित एक पद पर चयन समिति द्वारा की गई संस्कृतियों को
स्वीकार करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने हेतु श्रेष्ठता क्रम में
(In order of merit) अनुमोदन प्रदान किया :-

- (अ) श्री अजय कठेरिया पुत्र श्री रामनाथ कठेरिया
- (ब) श्री रवीश आनन्द पुत्र श्री बी.एल. कुरील

(II) परिषद ने डाटा इन्फ्री आपरेटर (वेतनमान रु.4000-6000) के
अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित एक पद पर चयन समिति द्वारा की गई संस्कृतियों को
स्वीकार करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु श्रेष्ठता क्रम में
(In order of merit) अनुमोदन प्रदान किया :-

- (अ) सुश्री नीरु अमार्य पुत्री श्री दुर्गा प्रसाद अमार्य
- (ब) सुश्री ऊषा सिंह पुत्री श्री भागवत सिंह

(III) परिषद ने कैटलागर. (वेतनमान रु.5000-8000) के अनुसूचित जाति
हेतु आरक्षित एक पद पर चयन समिति द्वारा की गई संस्कृतियों को रवीकार करते
हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु श्रेष्ठता क्रम में (In order of
merit) अनुमोदन प्रदान किया :-

- (अ) श्री सुरदीप चन्द्रन पुत्र श्री हीरा लाल
- (ब) श्री रामनरेश इन्दौरिया पुत्र श्री आर.आर.इन्दौरिया

(IV) परिषद ने कनि. प्रयोगशाला सहायक (वेतनमान रु. 3050-4590)
के अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित एक पद पर चयन समिति द्वारा नीरु अमार्य

के स्वीकार करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु श्रेष्ठता क्रम में (In order of merit) अनुमोदन प्रदान किया :-

- (अ) श्री संजय कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री रामओतार
- (ब) श्री अजय गौतम पुत्र श्री रामपाल

(IV) परिपद ने चालक (वितनमान रु. 3050-4590) के अनुसृचित जाति हेतु आरक्षित एक पद पर चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु श्रेष्ठता क्रम में (In order of merit) अनुमोदन प्रदान किया :-

- (अ) श्री सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री सुक्खूराम
- (ब) श्री मुलायम चन्द्र कुरील पुत्र श्री एस.पी.कुरील

मद संख्या-6 विशेषभर्ती अभियान के अन्तर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' के आरक्षित वर्गों का बैकलॉग पूरा किए जाने हेतु पुर्णविज्ञापन संख्या-सी.एस.जे.एम.यू./आर.कैम्प/106/2008 दिनांक 10/01/2008 में विज्ञापित पदों पर चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार :-

बैकलॉग पुर्णविज्ञापन संख्या- सी.एस.जे.एम.यू.आर.कैम्प/106/ 2008 दिनांक 10.01.2008 में समूह 'ग' के आरक्षित वर्गों का बैकलॉग पूरा किये जाने हेतु विज्ञापित पदों पर चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया ।

(I) आशुलिपिक (वितनमान रु0 4500-7000) के अनुसृचित जाति हेतु आरक्षित दो पदों पर चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु श्रेष्ठता क्रम में (In order of merit) अनुमोदन प्रदान किया :-

- (अ) श्री योगेश कुमार पुत्र श्री सोनेलाल
- (ब) श्री संतोष कुमार पुत्र श्री परागीलाल
- (स) श्री राकेश चन्द्र दिव्यार्थी पुत्र श्री महेश चन्द्र

(II) नैत्यिक लिपिक (वितनमान रु0 3050-4590) के अनु. जाति हेतु अर्गक्षित एक पद पर चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए

निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु शेष्ठता क्रम में (In order of merit)
अनुमोदन प्रदान किया :-

- (अ) श्री गम सिंह पुत्र श्री छोटेलाल
- (ब) सुश्री सनेहलता पुत्री श्री मिश्री लाल

मद संख्या-7 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों एवं पुराने
महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता से परिषद को संसृचित किया जाना :-

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कुल 86 नवीन महाविद्यालयों एवं
123 पुराने महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों संलग्न सूची से परिषद राखीचल दुः।

मद संख्या-8 वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.08.2007 को अन्य विषय के
विन्दु-2 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु चार्टर्ड
एकाउन्टेण्ट की नियुक्ति हेतु पैनल गठित किए जाने पर विचार :-

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.08.2007 को अन्य विषय के
प्रस्ताव संख्या-02 पर लिए गए निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु चार्टर्ड
एकाउन्टेण्ट की नियुक्ति हेतु पैनल गठित किए जाने के सम्बन्ध में विरलूत
विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्व से ही
नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट से पूर्व निर्धारित मानदेय पर कार्य लिया जाय तथा तर्थ
2008-09 हेतु नए पैनल के गठन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही आंचलम्ब
प्रारम्भ की जाए।

मद संख्या-9 वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2008 में लिये गए
निर्णय के अनुमोदन पर विचार :-

परिषद ने वित्त समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक
14.03.2008 में लिए गए निर्णयों पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान
करने का निर्णय लिया।

मद संख्या-10 परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 11.04.2007 एवं 20.04.
2007 में शोध उपाधि से कुल 97 शोधकर्ताओं को अलंकृत किये जाने वालों का
अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार :-

परिषद ने परीक्षा समिति की समझौते बैठक 11.04.2007 एवं 20.05.2007 में लिए गए निर्णयों से अवगत होते हुए योग्य उपाधि से कुल 97 शोध कर्ताओं को अलंकृत किए जाने के निर्णय का अनुमति प्रदान किया।

अन्य विषय (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

मद संख्या-1 उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा- 26(1) (डी) के प्राविधिकानुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति हेतु कार्यपरिषद द्वारा एक सत्य नामित किए जाने का प्रस्ताव वित्ताधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव पर कार्य परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति हेतु कार्यपरिषद की ओर से एक सदस्य नामित करने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया तथा यह अपेक्षा की कि अगली बैठक में कार्यपरिषद को संसूचित कर दिया जाय।

मद संख्या-2 सदस्य श्री कुलदीप सिंह ने परिषद के गठन पर कानून विश्वविद्यालय के आवासीय शिक्षक एसोसिएशन का पत्र दिनांक 13.03.2008 प्रस्तुत करते हुए परिषद से यह अपेक्षा की कि चूँकि पत्र में उल्लिखित प्रकरण शिक्षकों के वेलफेयर से सम्बन्धित है। अतः इस पर विस्तृत विचार विमर्श की आवश्यकता है। एसोसिएशन के उपरिलिखित पत्र में उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों के प्रोन्नति के प्रदरण काफी समय से लम्बित है। अतः शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले को शोधता एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाय। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार स्कीनिंग कमेटी हेतु महामहीम कुलाधिपति से विषय विशेषज्ञ माँग लिए जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कुलसचिव को तत्समय ही निर्देश प्रदान किए।

शिक्षक एसोसिएशन के पत्र में यह भी माँग की गई है कि अस्थार्या रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों का विनियमितीकरण भी अविलम्ब कराया जाय। इस पर कुलपति जी ने कुलसचिव को अधिनियम, परिनियम के अनुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मद संख्या-3 सदस्य श्री कुलदीप सिंह ने परिषद को यह अवगत कराया कि प्रो। एम.पी.सिन्हा, (सेवानिवृत्त शिक्षक) के जी.आई.एस आदि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अर्भा तक नहीं किया गया है। अतः प्रो। सिन्हा के जो भी सेवानिवृत्तिक देव अवशेष हैं उनका तत्काल भुगतान कर दिया जाय।

मद संख्या-4 सदस्य श्री कुलर्दाप सिंह ने परिषद को यह भी अद्यगत कराया कि विश्वविद्यालय में चल रहे कला एवं संगीत विभाग को यदि सुनुचित आद्य अंगित न होने के कारण बन्द किया जाना प्रस्तुतित हो तो कार्यपरिषद के माध्यम से यदि अवश्यक हो तो मनामनिम कुलाधिपति एवं उपराज्यमंत्री शासन को यह अद्यगत करा दिया जाय कि सामाजिक मूल्यों के दृष्टिगत उक्त विभाग को बन्द किया जाना कदापि नियमसंगत नहीं होगा। परिषद ने भी उक्त विचार से सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया कि कला एवं संगीत विभाग बन्द नहीं किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में वित्ताधिकारी महोदय ने परिषद को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 214/70-4/2000-7(7)/94 दिनांक 4 फरवरी, 2000 के प्रेरा-4 में, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि “यदि प्रश्नगत पाठ्यक्रम वर्तमान अध्यात्मा भविष्य में खविन पोषित पाठ्यक्रम मानकों के आधार पर संचालित किया जाना संभव न हो तो इस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा तथा संविदा पर रखे गए शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जाएगी।” से पुनः अद्यगत करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि सन्दर्भित शासनादेश का अनुपालन किया जाना विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रतिबद्धता है क्योंकि शासनादेश दिनांक 04.02.2000 अद्यतन प्रभावी है।

मद संख्या-5 परिषद की सदस्या डा० (श्रीमती) आशा रानी राय ने विश्वविद्यालय प्रशासन से यह अपेक्षा की कि परिषद के सदस्यों को यह अवश्य सुनुचित किया जाए कि उनकी परिषद की सदस्यता किस अवधि तक के लिए है। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने यह आश्वस्त किया कि भविष्य में जब कश्मीर भी निर्धारित/विहित प्रक्रिया के अनुसार चक्रानुचक्र में सदस्य नियुक्त/नामित विश्व जायेंगे तो उन्हें इसका सूचना जिसमें सदस्यता की अवधि का उल्लेख भी होगा, अवश्य तो जायेगा।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

K C Singh
17. 2. 08

(प्र०० एल०सी० मिश्रा)
अध्यक्ष/कुलपति

(महेश चन्द्र)
सचिव/कुलपति